

नीलाम की सूचना


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए जनपद न्यायालय बिजनौर में स्थित निम्नलिखित ठेकों का नीलाम केन्द्रीय सभागार में दिनांक **20-03-2021** को सांय चार बजे किया जायेगा। नीलाम की शर्तें एवं अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को प्रातः दस बजे से सांय पांच बजे के मध्य केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय बिजनौर तथा जनपद न्यायालय की बेवसाइट ecourts.gov.in/bijnor पर प्राप्त की जा सकती है। नीलाम में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियत समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर कार्यवाही नीलाम में भाग ले सकते हैं।

नीलाम में भाग लेने वाले व्यक्ति पहचान पत्र एवं पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटो साथ लाये।

नीलाम होने वाले ठेकों का विवरण।

1. केन्टीन सं0-01
2. केन्टीन सं0-02
3. फोटो स्टेट मशीन
4. साईकिल, स्कूटर आदि का स्टैण्ड
5. फल एवं जूस विक्रय ठेला

दिनांक 03-03-2021


(राजकुमार बंसल)
अध्यक्ष नीलाम समिति
अपर जिला जज, कोर्ट
सं0 1 बिजनौर।


नीलाम की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, बिजनौर के मुख्यालय परिसर में स्थित **चाय व नाश्ते की कैन्टीन सं0-01** का सार्वजनिक नीलाम **वित्तीय वर्ष 2021-2022** के लिए जनपद न्यायालय, बिजनौर के दस न्यायालय भवन में स्थित केन्द्रीय सभागार में **दिनांक 20-03-2021** को समय **सांय चार बजे** नीलाम समिति जनपद न्यायालय, बिजनौर के समक्ष किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति समय पर आकर बोली लगा सकते हैं। बोली बोलने से पूर्व लगाने वाले व्यक्ति को अंकन दस हजार रुपये जमानत के रूप में जमा करने होंगे।

नीलाम की शर्तें

1. यह कि कैन्टीन सं0-01 की सरकारी बोली अंकन 3,90,000/- (तीन लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) रुपये होगी।
2. अधिकतम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर के अनुमोदन के बाद ही स्वीकृत मानी जायेगी।
3. अधिकतम बोली दाता के हक में नीलाम छोड़ा जायेगा।
4. अधिकतम बोली दाता के द्वारा नीलाम की धनराशि का आधा भाग तुरन्त जमा करना होगा। जमा न करने की दशा में अग्रिम जमानत की धनराशि जब्त हो जायेगी।
5. ठेकेदार को नीलाम की अवशेष धनराशि दो समान किशतों में कमशः दिनांक 30-09-2021 को एवं 31-12-2021 को जमा करनी होगी। यदि उक्त धनराशि समयावधि के अंतर्गत जमा नहीं की जाती है तो इस अवशेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व के रूप में की जायेगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
6. ठेकेदार को प्रत्येक सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री/बासी सामान नहीं बेचा जायेगा, अन्यथा उसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर कानूनी कार्यवाही करके उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
7. ठेकेदार कैन्टीन प्रत्येक कार्य दिवस को तथा लोक अदालत के आयोजन के दिवस में भी खोलेगा।
8. ठेकेदार कैन्टीन के बाहर कूड़ा आदि एकत्रित नहीं करेगा। सफाई की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेगा। पानी व बिजली की व्यवस्था भी स्वयं करेगा।
9. ठेका अवधि के दौरान यदि कोई राजकीय क्षति होती है तो उसका ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
10. ठेकेदार किसी प्रकार के तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान आदि नहीं बेचेगा। यदि बेचते हुए पाया गया तो उसका ठेका निरस्त करके कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
11. बोली बोलने वाले प्रत्येक आवेदक को दस हजार रुपये जमानत की राशि अग्रिम रूप से जमा करनी होगी जो कि ठेके की राशि में समयोजित हो जायेगी।
12. ठेकेदार कैन्टीन सं0-01 को किसी अन्य उप-ठेकेदार को नहीं देगा।
13. बोली दाता जिसकी बोली स्वीकार की जायेगी उसको अपना एक नया फोटो एवं आई0डी0 देनी होगी।
14. कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु फेस कवर/मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

दिनांक 03-03-2021


(राजकुमार बंसल)
अध्यक्ष नीलाम समिति
अपर जिला जज, कोर्ट
सं0 1 बिजनौर।


नीलाम की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, बिजनौर के मुख्यालय परिसर में स्थित **चाय व नाश्ते की कैंटीन सं0-02** का सार्वजनिक नीलाम वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए जनपद न्यायालय, बिजनौर के दस न्यायालय भवन में स्थित केन्द्रीय सभागार में दिनांक **20-03-2021** को समय **सांय चार बजे** नीलाम समिति जनपद न्यायालय, बिजनौर के समक्ष किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति समय पर आकर बोली लगा सकते हैं। बोली बोलने से पूर्व लगाने वाले व्यक्ति को अंकन दस हजार रुपये जमानत के रूप में जमा करने होंगे।

नीलाम की शर्तें

1. यह कि कैंटीन सं0-02 की सरकारी बोली 4,25,000/- (चार लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) रुपये होगी।
2. अधिकतम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर के अनुमोदन के बाद ही स्वीकृत मानी जायेगी।
3. अधिकतम बोली दाता के हक में नीलाम छोड़ा जायेगा।
4. अधिकतम बोली दाता के द्वारा नीलाम की धनराशि का आधा भाग तुरन्त जमा करना होगा। जमा न करने की दशा में अग्रिम जमानत की धनराशि जब्त हो जायेगी।
5. ठेकेदार को नीलाम की अवशेष धनराशि दो समान किशतों में क्रमशः दिनांक 30-09-2021 को एवं 31-12-2021 को जमा करनी होगी। यदि उक्त धनराशि समयावधि के अंतर्गत जमा नहीं की जाती है तो इस अवशेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व के रूप में की जायेगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
6. ठेकेदार को प्रत्येक सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री/बासी सामान नहीं बेचा जायेगा, अन्यथा उसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर कानूनी कार्यवाही करके उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
7. ठेकेदार कैंटीन प्रत्येक कार्य दिवस को तथा लोक अदालत के आयोजन के दिवस में भी खोलेगा।
8. ठेकेदार कैंटीन के बाहर कूड़ा आदि एकत्रित नहीं करेगा। सफाई की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेगा। पानी व बिजली की व्यवस्था भी स्वयं करेगा।
9. ठेका अवधि के दौरान यदि कोई राजकीय क्षति होती है तो उसका ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
10. ठेकेदार किसी प्रकार के तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान आदि नहीं बेचेगा। यदि बेचते हुए पाया गया तो उसका ठेका निरस्त करके कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
11. बोली बोलने वाले प्रत्येक आवेदक को दस हजार रुपये जमानत की राशि अग्रिम रूप से जमा करनी होगी जो कि ठेके की राशि में समयोजित हो जायेगी।
12. ठेकेदार कैंटीन सं0-02 को किसी अन्य उप-ठेकेदार को नहीं देगा।
13. बोली दाता जिसकी बोली स्वीकार की जायेगी उसको अपना एक नया फोटो एवं आई0डी0 देनी होगी।
14. कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु फेस कवर/मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

दिनांक 03-03-2021


(राजकुमार बंसल)
अध्यक्ष नीलाम समिति
अपर जिला जज, कोर्ट
सं0 1 बिजनौर।


नीलाम की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, बिजनौर के मुख्यालय परिसर में स्थित **फोटो स्टेट मशीन की अस्थाई दुकान के ठेके** का सार्वजनिक नीलाम वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए जनपद न्यायालय, बिजनौर के दस न्यायालय भवन में स्थित केन्द्रीय सभागार में दिनांक **20-03-2021** को समय **सांय चार बजे** नीलाम समिति जनपद न्यायालय, बिजनौर के समक्ष किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति समय पर आकर बोली लगा सकते हैं। बोली बोलने से पूर्व लगाने वाले व्यक्ति को अंकन दस हजार रुपये जमानत के रूप में जमा करने होंगे।

नीलाम की शर्तें

1. यह कि फोटो स्टेट मशीन की अस्थाई दुकान के ठेके की सरकारी बोली अंकन 3,90,500/- (तीन लाख नब्बे हजार पांच सौ रुपये मात्र) रुपये होगी।
2. अधिकतम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर के अनुमोदन के बाद ही स्वीकृत मानी जायेगी।
3. अधिकतम बोली दाता के हक में नीलाम छोड़ा जायेगा।
4. अधिकतम बोली दाता के द्वारा नीलाम की धनराशि का आधा भाग तुरन्त जमा करना होगा। जमा न करने की दशा में अग्रिम जमानत की धनराशि जब्त हो जायेगी।
5. ठेकेदार को नीलाम की अवशेष धनराशि दो समान किशतों में कमशः दिनांक 30-09-2021 को एवं 31-12-2021 को जमा करनी होगी। यदि उक्त धनराशि समयावधि के अंतर्गत जमा नहीं की जाती है तो इस अवशेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व के रूप में की जायेगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
6. जिस स्थान पर इस समय फोटो स्टेट मशीन का ठेका चल रहा है उसी सीन पर अधिकतम बोली दाता को फोटो स्टेट मशीन अपनी अस्थाई दुकान निर्मित कर चलानी होगी।
7. ठेकेदार कैंटीन के बाहर कूड़ा आदि एकत्रित नहीं करेगा। सफाई की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेगा। पानी व बिजली की व्यवस्था भी स्वयं करेगा।
8. ठेका अवधि के दौरान यदि कोई राजकीय क्षति होती है तो उसका ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
9. बोली बोलने वाले प्रत्येक आवेदक को दस हजार रुपये जमानत की राशि अग्रिम रूप से जमा करनी होगी जो कि ठेके की राशि में समयोजित हो जायेगी।
10. ठेकेदार कैंटीन सं0-01 को किसी अन्य उप-ठेकेदार को नहीं देगा।
11. बोली दाता जिसकी बोली स्वीकार की जायेगी उसको अपना एक नया फोटो एवं आई0डी0 देनी होगी।
12. कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु फेस कवर/मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

दिनांक 03-03-2021


(राजकुमार बंसल)
अध्यक्ष नीलाम समिति
अपर जिला जज, कोर्ट
सं0 1 बिजनौर।


नीलाम की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, बिजनौर के मुख्यालय परिसर में **फल एवं जूस का ठेला** लगाने के लिए ठेके का सार्वजनिक नीलाम वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए जनपद न्यायालय, बिजनौर के दस न्यायालय भवन में स्थित केन्द्रीय सभागार में **दिनांक 20-03-2021** को समय **सांय चार बजे** नीलाम समिति जनपद न्यायालय, बिजनौर के समक्ष किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति समय पर आकर बोली लगा सकते हैं। बोली बोलने से पूर्व लगाने वाले व्यक्ति को अंकन दस हजार रुपये जमानत के रूप में जमा करने होंगे।

नीलाम की शर्तें

1. यह कि फल एवं जूस का ठेला लगाने के लिए ठेके की सरकारी बोली अंकन 52,000/- (बावन हजार रुपये मात्र) रुपये होगी।
2. अधिकतम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर के अनुमोदन के बाद ही स्वीकृत मानी जायेगी।
3. अधिकतम बोली दाता के हक में नीलाम छोड़ा जायेगा।
4. अधिकतम बोली दाता के द्वारा नीलाम की धनराशि का आधा भाग तुरन्त जमा करना होगा। जमा न करने की दशा में अग्रिम जमानत की धनराशि जब्त हो जायेगी।
5. ठेकेदार को नीलाम की अवशेष धनराशि दो समान किशतों में कमशः दिनांक 30-09-2021 को एवं 31-12-2021 को जमा करनी होगी। यदि उक्त धनराशि समयावधि के अंतर्गत जमा नहीं की जाती है तो इस अवशेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व के रूप में की जायेगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
6. ठेकेदार को प्रत्येक सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री/बासी सामान नहीं बेचा जायेगा, अन्यथा उसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर कानूनी कार्यवाही करके उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
7. ठेकेदार ठेला प्रत्येक कार्य दिवस को तथा लोक अदालत के आयोजन के दिवस में भी खोलेगा।
8. ठेकेदार ठेले के बाहर कूड़ा आदि एकत्रित नहीं करेगा। सफाई की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेगा। पानी व बिजली की व्यवस्था भी स्वयं करेगा।
9. ठेका अवधि के दौरान यदि कोई राजकीय क्षति होती है तो उसका ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
10. ठेकेदार किसी प्रकार के तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान आदि नहीं बेचेगा। यदि बेचते हुए पाया गया तो उसका ठेका निरस्त करके कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
11. बोली बोलने वाले प्रत्येक आवेदक को दस हजार रुपये जमानत की राशि अग्रिम रूप से जमा करनी होगी जो कि ठेके की राशि में समयोजित हो जायेगी।
12. ठेकेदार ठेले को किसी अन्य उप-ठेकेदार को नहीं देगा।
13. बोली दाता जिसकी बोली स्वीकार की जायेगी उसको अपना एक नया फोटो एवं आई0डी0 देनी होगी।
14. कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतू फेस कवर/मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

दिनांक 03-03-2021


(राजकुमार बंसल)
अध्यक्ष नीलाम समिति
अपर जिला जज, कोर्ट
सं0 1 बिजनौर।


नीलाम की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, बिजनौर के मुख्यालय परिसर में स्थित **साईकिल, स्कूटर आदि के स्टैण्ड** के ठेके का सार्वजनिक नीलाम वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए जनपद न्यायालय, बिजनौर के दस न्यायालय भवन में स्थित केन्द्रीय सभागार में **दिनांक 20-03-2021** को समय **सायं चार बजे** नीलाम समिति जनपद न्यायालय, बिजनौर के समक्ष किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति समय पर आकर बोली लगा सकते हैं। बोली बोलने से पूर्व लगाने वाले व्यक्ति को अंकन दस हजार रुपये जमानत के रूप में जमा करने होंगे।

नीलाम की शर्तें

1. यह कि साईकिल, स्कूटर आदि के स्टैण्ड के ठेके की सरकारी बोली अंकन 4,17,000/- (चार लाख सत्तरह हजार रुपये मात्र) रुपये होगी।
2. यह कि ठेकेदार को स्टैण्ड का रख-रखाव स्वयं करना होगा तथा स्टैण्ड पर किसी भी प्रकार से कोई गंदगी कारित नहीं की जायेगी।
3. वादकारियों से साईकिल स्टैण्ड पर साईकिल खड़ी करने का शुल्क दो रुपये प्रति साईकिल, स्कूटर एवं मोटर साईकिल स्टैण्ड पर खड़ी करने का शुल्क पांच रुपये प्रति वाहन एवं कार स्टैण्ड पर खड़ी करने का शुल्क दस रुपये प्रति कार उसी दिन के लिए होगा।
4. जनपद न्यायालय के स्टाफ, अधिवक्तागण एवं उनके मोहरीर से मासिक पास जारी करके साईकिल के लिए पन्द्रह रुपये प्रति माह, स्कूटर व मोटर साईकिल के लिए तीस रुपये प्रतिमाह तथा कार के लिए पचास रुपये प्रति माह ठेकेदार वसूल करेगा।
5. वाहन की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा।
6. अधिकतम बोली दाता के द्वारा नीलाम की धनराशि का आधा भाग तुरन्त जमा करना होगा। जमा न करने की दशा में अग्रिम जमानत की धनराशि जब्त हो जायेगी।
7. ठेकेदार को नीलाम की अवशेष धनराशि दो समान किशतों में कमशः दिनांक 30-09-2021 को एवं 31-12-2021 को जमा करनी होगी। यदि उक्त धनराशि समयवधि के अंतर्गत जमा नहीं की जाती है तो इस अवशेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व के रूप में की जायेगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
8. बोली बोलने वाले प्रत्येक आवेदक को दस हजार रुपये जमानत की राशि अग्रिम रूप से जमा करनी होगी जो कि ठेके की राशि में समयोजित हो जायेगी।
9. ठेकेदार स्टैण्ड को किसी अन्य उप-ठेकेदार को नहीं देगा।
10. अधिकतम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर के अनुमोदन के बाद ही स्वीकृत मानी जायेगी।
11. बोली दाता जिसकी बोली स्वीकार की जायेगी उसको अपना एक नया फोटो एवं आई0डी0 नीलाम समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
12. ठेकेदार किराये की रेट लिस्ट स्टैण्ड पर लगायेगा, जो जनता को दृष्टिगोचर होनी चाहिए।
13. कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतू फेस कवर/मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

दिनांक 03-03-2021


(राजकुमार बसल)
अध्यक्ष नीलाम समिति
अपर जिला जज, कोर्ट
सं0 1 बिजनौर।

नीलाम की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए वाह्य न्यायालय, नगीना, जनपद बिजनौर में स्थित निम्नलिखित ठेको का नीलामी कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव का अनुपालन करते हुए दिनांक 20-03-2021 को साय 1:00 बजे से न्यायालय परिसर, नगीना, जनपद बिजनौर में निम्न प्रकार शुरू की जायेगी।

नीलाम की एवं आवश्यक जानकारी कार्यालय नजारत अनुभाग, वाह्य न्यायालय, नगीना, जनपद बिजनौर से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। नीलाम की शर्तें एवं आवश्यक जानकारी जनपद न्यायालय बिजनौर की वेबसाइट www.ecourts.gov.in/bijnor पर भी प्राप्त की जा सकती है। नीलाम में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियत समय एवं स्थान पर फेस कवर/मास्क लगाकर, अपना पहचान पत्र एवं एक पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लेकर नीलाम में भाग ले सकते हैं। केवल नीलाम में भाग लेने वाला सदस्य ही न्यायालय परिसर, नगीना, में नीलामी हेतु उपस्थित रहेगा। नीलाम की शर्तें संलग्न हैं।

नीलाम होने वाले ठेको का विवरण व समय

| क्रम संख्यां | नाम ठेका | समय |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. | चाय व नाश्ते की केन्टीन | अपराहन समय 1:00 बजे से 2:00 बजे तक |
| 2. | साईकिल, स्कटर आदि का स्टैण्ड | अपराहन समय 3:00 बजे से 4:00 बजे तक |

(देवन्द्र सिंह)

सदस्य नीलाम समिति/सिविल जज (जू0डि0)
नगीना जिला बिजनौर।

(चन्द्रशेखर मिश्र)

अध्यक्ष नीलाम समिति/ अपर जिला जज
नगीना जिला बिजनौर।

नीलाम की सूचना निम्नलिखित स्थानों पर सर्वसाधारण को सूचित करने हेतु चस्पा की जाये:

1. सिविल कोर्ट नगीना जिला बिजनौर।
2. कार्यालय तहसील, नगीना, जनपद बिजनौर।
3. कार्यालय नगर पालिका परिषद, नगीना, जनपद बिजनौर।
4. कार्यालय जिला सूचना अधिकारी को वास्ते प्रकाशन निःशुल्क स्थानीय समाचार पत्र।
5. सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर जनपद न्यायालय, बिजनौर को इस आशय के साथ प्रेषित की वह नीलाम की सूचना एवं शर्तें जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

(देवन्द्र सिंह)

सदस्य नीलाम समिति/सिविल जज (जू0डि0)
नगीना जिला बिजनौर।

(चन्द्रशेखर मिश्र)

अध्यक्ष नीलाम समिति/ अपर जिला जज
नगीना जिला बिजनौर।